कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश:—

यह कि श्री मुकेश कुमार सैनी, व्याख्याता (समाजशास्त्र) राउमावि. मालसर रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर (जन्म तिथि 02.07.1981) दिनांक 12.01.2017 मध्याह्न पश्चात स्वैच्छा से लगातार अनुपस्थित चल रहें है। प्रधानाचार्य राउमावि. मालसर द्वारा पंजिकृत डाक के माध्यम से विद्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। श्री सैनी द्वारा न तो कोई प्रत्यूतर भेजा गया और न ही विद्यालय में आज दिनांक तक उपस्थित हुए। श्री सैनी की स्वैच्छा से अनुपस्थिति अवधि 3 वर्ष से अधिक होने पर RSR 86(4) के तहत् कार्यवाई हेतु अन्तिम नोटिस जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22.10.2020 को सीमा संदेश समाचार पत्र में जारी किया गया। जिसका श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा कोई प्रत्यूतर प्राप्त नहीं हुआ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच पश्चात पाया गया कि श्री मुकेश कुमार सैनी व्याख्याता समाजशास्त्र राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व अन्य बनाम मन्सूर अली खान (2000) SSC 629 में यह अवधारित किया गया है कि " if a person is absent beyond the prescribed period for which leave of any kind can be granted, he should be treated to have resigned and ceased to be in service, In such a case, there is no need to hold an enquiry or to give any notice as it would count to useless formalities."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 396/02 त्रिभुवन वल्लभ बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2003 द्वारा लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नहीं माना गया है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एंव नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं बताई है।

अतः श्री मुकेश कुमार सैनी के दिनांक 12.01.2017 से निरन्तर स्वैच्छा से अनुपस्थिती के मद्यनजर राजस्थान सेवा नियम 86(4) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.2017 के अनुसार 01 वर्ष से अधिक स्वैच्छिक अनुपस्थिति का प्रकरण होने के कारण सेवा परित्याग मानते हुए (DEEMED TO HAVE RESIGNED) एतद् द्वारा श्री मुकेश कुमार सैनी व्याख्याता समाजशास्त्र राउमावि. मालसर रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर को राज्य सेवा से पृथक किया (REMOVAL FROM SERVICE) जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा/माध्य/संस्था/सी—5/स्वै. सेवानिवृत्ति/2020/432 दिनांकः— 15/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा.शि.।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक..................।
7. वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन एबी अनुभाग/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन कार्यालय हाजा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक श्री मुकेश कुमार सैनी व्या. समाजशास्त्र कार्मिक आई.डी. RJJP200817018955 (नियुक्ति आरपीएससी 2013 मेरिट 20) को वरिष्ठता विलोपन की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।
8. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)